प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 02 मार्च, 2021**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 हेतु राजस्व मद में केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-57/2020/2703/33-3-2020-100(2)/2019 दिनांक 27.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 हेतु धनराशि रू. 59.38 लाख (रू. उनसठ लाख अड़तीस हजार मात्र) अवमुक्त किया गया है। निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 के पत्र संख्या-1/शा0/27/2020-1/293/2020 दिनांक 09.12.2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 27.11.2020 द्वारा पूंजीगत मद में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू. 59.38 लाख वास्तविक रूप से अनुदान संख्या-81 राजस्व मद की है। उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न बिन्दु को सम्मिलित किया जायेगा:-

(1) शासनादेश में अंकित पूंजीगत मद के स्थान पर राजस्व मद पढ़ा जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की गाइडलाइन की व्यवस्था के अनुसार अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) (के.60/रा.40-के.*रा.)-42-अन्य व्यय में धनराशि रू. 59.38 लाख (रू. उनसठ लाख अड़तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा, गोमती नगर में खोले गए खाता संख्या-31860100018092 आई.एफ.एस.सी. कोड-BARB0VALUC में जमा किया जायेगा।

(3) शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश में अंकित शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0स0-ई-2-190/X-2021 दिनांक-02.03.2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उ0प्र0 प्रदेश शासन।
3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- एन0आई0सी0 की प्रति।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।